न्यायालय : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

(समक्ष : जोगेन्द्र सिंह)

दांडिक पुनरीक्षण क्र.3800164/2016
संस्थित दिनांक 18/04/2016

01. श्रीमती शमीम पति अनीस खान,
आयु 58 वर्ष, व्यवसाय–गृहणी,

02. अनीस खान पिता ईस्माइल खान,
आयु 61 वर्ष, धंधा सेवानिवृत्त शास. सेवक

03. आरिफ खान पिता अनीस खान,
आयु 38 वर्ष, धंधा व्यापार

04. श्रीमती फिरदोस पति आरिफ खान,
आयु 32 वर्ष धंधा गृहकार्य सभी निवासीगण–
हाल 24, नाहर शाह नगर, खजराना, इन्दौर

05. श्रीमती परवीन पति डॉ. दानिश शेख,
आयु 35 वर्ष, धंधा प्रायवेट चिकित्सक
निवासी आलोट पायगा स्कूल के पास,
नयापुरा देवास (म.प्र.) ..... पुनरीक्षणकर्ता/अनाावेदकगण

:: विरूद्ध ::

श्रीमती मुंतकीम पति आबिद खान, आयु 31 वर्ष,
धंधा चिकित्सक/स्कूल मैनेजमेंट, हाल निवासी–
उत्तम नगर, इटावा देवास (म.प्र.) .....अनावेदक/व्यथित व्यक्ति

न्यायालय सुश्री विकसिता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 03/2015 में पारित आदेश दिनांक 23–02–2016 से उद्भूत।

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक द्वारा : श्री गोविंद जोशी अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी/आवेदिका द्वारा : श्री रघुवीर यार्दी अधिवक्ता,

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को पारित)

01. पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय सुश्री विकसिता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 03/2015 में पारित आदेश दिनांक

23–02–2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रकरण में उनका नाम कम करने बाबत् प्रस्तुत आवेदन आ.ए.नंबर 1 व 2 निरस्त किये गये हैं।

02. अनाावेदकगण / पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध धारा 397 द.प्र.स. के अधीन पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है, परन्तु धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (जिसे आगे केवल अधिनियम सम्बोधित किया जाएगा) के अन्तर्गत पारित किये गये प्रत्येक आदेश के लिए अपील का प्रावधान है, किन्तु मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण को आपराधिक पुनरीक्षण में पंजीबद्ध किये जाने बाबत् आदेश किया गया है अतः प्रकरण का निराकरण पुनरीक्षण याचिका के रूप में ही किया जा रहा है।

03. पुनरीक्षण के निराकरण हेतु प्रकरण के तथ्य यह है कि अनावेदक / व्यथित व्यक्ति श्रीमती मुंतकीम की ओर से की अधिनियम की धारा 12, 18, 19, 20, 22 एवं 23 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण / अनावेदकगण के विरूद्ध विभिन्न आक्षेप लगाते हुए घरेलू हिंसा कारित किये जाने के संदर्भ में प्रकरण प्रस्तुत कर अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अनुतोष चाहा गया है।

04. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी / व्यथित व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण क्र. 2 लगायत 5 तथा अनावेदक क्र. 6 श्रीमती परवीन का नाम कम किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र क्रमशः आय.ए. नंबर 1 एवं 2 प्रस्तुत किये गये हैं। आय.ए. नंबर 1 संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी / व्यथित व्यक्ति के द्वारा प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता क्र. 1 से 4 को पक्षकार बनाया है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक क्र. 3 अनीस शासकीय सेवा में होने से अपनी पत्नी शमीम अना.क्र. 2 सहित वर्ष 2010 से फरवरी 2013 तक अलीराजपुर, अम्बुआ में तत्पश्चात मई, 2013 से अशोक नगर में इसके उपरांत कल्याणपुर जिला झाबुआ व पेटलावद में निवासरत रहा है, व्यथित व्यक्ति द्वारा उन्हें अकारण ही पक्षकार बनाया है जबकि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई है। इसी प्रकार अनावेदक क्र. 4 आरिफ एवं क्र. 5 श्रीमती फिरदोस को भी मात्र परेशान करने की नीयत से पक्षकार बनाया है। व्यथित व्यक्ति द्वारा अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध दिनांक 14.10.2014 को पुलिस थाना देवास में शिकायत की गई थी जिसमें भी अनावेदक क्र. 2 लगायत 5 के विरूद्ध कोई तथ्य नहीं आया है, उक्त आवेदन पर से पुलिस थाना खजराना द्वारा अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध 498–ए भा.द.स. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। व्यथित व्यक्ति ने अपने मूल आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि सितम्बर, 2014 के बाद से वह एवं उसका पति अनावेदकगण से अलग इन्दौर में निवास करने लगे थे और वह अलग रहने की शर्त पर ही इन्दौर आयी

थी। व्यथित व्यक्ति शादी के बाद से कभी भी अनावेदकगण के साथ नहीं रही है। उपरोक्त आधारों पर अनावेदकगण क्र. 2 लगायत 5 का नाम प्रकरण से कम किये जाने की प्रार्थना की गई है।

05. मूल आवेदन की अनावेदक क्र. 6 श्रीमती परवीन की ओर से आवेदन आय.ए. नंबर 2 प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रकरण में व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे पक्षकार बनाया गया है, जबकि उसका विवाह दिनांक 27.12.2002 को होकर विवाह के दो वर्ष पश्चात से निरन्तर अपने ससुराल में ही निवास कर रही है और कभी–कभी ही मायके जाती थी। प्रकरण में उसके विरूद्ध कोई विशेष आक्षेप भी नहीं लगाये गये हैं। वह व्यथित व्यक्ति की शादी के बाद से कभी भी उसके साथ इन्दौर में नहीं रही है। अकारण ही पक्षकार बनाया गया है। उक्त आधारों पर उसका नाम प्रकरण से कम किये जाने की प्रार्थना की गई है।

06. उपरोक्त आवेदन पत्रों का गैरपुनरीक्षणकर्ता/व्यथित व्यक्ति की ओर से पृथक से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण कर आवेदन पत्र आय.ए. नंबर 1 एवं 2 निरस्त किये गये हैं।

07. पुनरीक्षण के आधार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विधान के विपरीत होने से निरसन योग्य है, प्रत्यर्थी/व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन के चरण क्र. 9 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वह राजीनामा कर शेष अनावेदकगण से अलग निवास करने की शर्त पर ही वापस इन्दौर लौटकर आयी थी, उक्त तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि वह पुनरीक्षणकर्ता के साथ निवास नहीं कर रही है। पुनरीक्षणकर्ता क्र. 2 शासकीय सेवक है एवं क्र. 2 उसकी पत्नी है, वह वर्ष 2008 से 2016 तक भिन्न–भिन्न स्थानों पर पदस्थ रहा है, उक्त तथ्य पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास न कर आलोच्य आदेश पारित कर आवेदन निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है। पुनरीक्षणकर्ता क्र. 3 एवं 4 के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है मात्र परेशान करने के लिए प्रकरण में उन्हें संयोजित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 श्रीमती परवीन व्यथित व्यक्ति की ननंद है जिसका विवाह होकर वह अपने पति के साथ निवास कर रही है उसे भी मात्र परेशान करने की नीयत से प्रकरण में संयोजित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण से उनका नाम कम किये जाने की प्रार्थना की गई है।

08. पुनरीक्षण *के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 23.02.2016 पारित करने में किसी प्रकार की अशुद्धता, अवैधता अथवा अनियमितता कारित की गई है ?*

:: सकारण निष्कर्ष ::

09. तर्को पर विचार किया। अभिलेख का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी / व्यथित व्यक्ति की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 12, 18, 19, 20 एवं 22 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करते हुए अनावेदकगण पर आक्षेप लगाते हुए उनके विरूद्ध भी सहायता चाही गई है।

10. अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि व्यथित व्यक्ति की अपीलार्थी क्र. 1 व 2 क्रमशः सास–ससुर, क्र. 3 व 4 जेठ–जेठानी है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 परवीन ननंद है। व्यथित व्यक्ति के अनुसार उपरोक्त पुनरीक्षणकर्तागण क्र. 1 से 4 एक ही घर में नाहर शाह नगर, खजराना इन्दौर में निवास करते हैं, जबकि पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 अपने ससुराल देवास में निवास करती है। व्यथित व्यक्ति का कहना है कि उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता क्र. 1 से 4 उसके साथ निवास करते थे तथा शादी में घर गृहस्थी का सारा सामान सोफा सेट कलर टी.वी., अलमारी, वाशिंग मशीन फ्रीज, डबल बेड, बर्तन कूलर एवं सोने के आभूषण अपीलार्थीगण को दिये गये थे। व्यथित व्यक्ति की जेठानी, सास एवं ननंद कोई भी घर के काम में उसकी मदद नहीं करती थी तथा ठीक से खाना भी नहीं देते थे। उपरोक्त द्वारा व्यथित व्यक्ति के साथ गाली–गलौच की जाती थी। पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा व्यथित व्यक्ति को मायके से पॉच लाख रूपये लाने के लिए दबाव बनाते थे और उसके द्व ारा ईद के मौके पर पॉच लाख रूपये पुनरीक्षणकर्तागण को लाकर भी दिये गये थे। दिनांक 06.07.2014 को पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा व्यथित व्यक्ति के माता पिता को गाली गलौच तथा मारपीट करना बताया है।

11. व्यथित व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 22 एवं 23 के अन्तर्गत अनुतोष चाहा गया है। पुनरीक्षणकर्तागण का यह कहना नहीं है कि व्यथित व्यक्ति द्वारा उसकी शादी के समय कोई सामान या उपहार स्वरूप आभूषण आदि नहीं दिये गये थे और न ही अपील के साथ इस तरह का कोई दस्तावेज लगाया गया है कि पुनरीक्षणकर्तागण का व्यथित व्यक्ति से शादी से लेकर अब तक कोई लेना–देना नहीं रहा। व्यथित व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि उसके विवाह के समय घर गृहस्थी का सारा सामान सोफा सेट कलर टी.वी., अलमारी, वाशिंग मशीन फ्रीज, डबल बेड, बर्तन कूलर एवं सोने के आभूषण पुनरीक्षणकर्तागण को दिये गये थे और इस समय उपरोक्त सभी सामान व वस्तुओं

का पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा उपयोग किया जा रहा है। पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा यह भी कहीं नहीं बताया गया है कि उनके द्वारा व्यथित व्यक्ति का सामान और जेवरात आदि लौटा दिये गये। अपीलार्थी क्र. 1 से 4 को शादी के समय और आवेदन देते समय व्यथित व्यक्ति के साथ रहना बताया है तथा उसका स्त्रीधन का उपयोग करना बताया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों का निराकरण साक्ष्य लिये जाने के उपरांत ही किया जा सकता है कि व्यथित व्यक्ति का स्त्रीधन किसके कब्जे में है और उसके साथ कोई घरेलू हिंसा कारित हुई है या नहीं। घरेलू हिंसा का संबंध सिर्फ शारीरिक हिंसा से ही नहीं है अपितु मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आदि हिंसा भी व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है।

12. यह सही है कि अधिनियम की धारा 19 का आदेश व्यथित व्यक्ति के पति के खिलाफ ही पारित किया जा सकता है, परन्तु अधिनियम की धारा 18 तथा 20 का आदेश उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया जा सकता है जिन्होंने व्यथित व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आदि हिंसा कारित की हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कम से कम अपीलार्थी क्र. 1 से 4 के खिलाफ अधिनियम की धारा 18 तथा 20 की साक्ष्य आने पर आदेश पारित किया जा सकता है और बिना किसी साक्ष्य के प्रकरण के प्रारम्भिक अवस्था में किसी भी तरह से यह विनिश्चित करना संभव नहीं है कि पुनरीक्षणकर्तागण क्र. 1 से 4 द्वारा व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई थी या नहीं, जिसके लिए विचारण की आवश्यकता होगी। अतः पुनरीक्षणकर्तागण क्र. 1 से 4 के संबंध में आवेदन आय.ए. नंबर 1 निरस्त करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

13. जहॉ तक पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 का प्रश्न है उसको व्यथित व्यक्ति के साथ रहना नहीं बताया गया है तथा उसकी शादी वर्ष 27.12.2002 को होना दर्शाया गया है और तभी से वह अपने ससुराल में निवास करती है। व्यथित व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 का इन्दौर आना तथा घरेलू हिंसा कारित करना बताया है। व्यथित व्यक्ति द्वारा एक एफ. आय.आर. नंबर 956/2014 अन्तर्गत धारा 498–ए, 323, 190, 506 भा.द.स. दर्ज करवाई गई है जिसमें पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है। पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 ना ही व्यथित व्यक्ति के साथ निवास करती है और न ही उससे किसी प्रत्यक्ष घरेलू हिंसा कारित किये जाने की उपधारणा की जा सकती है जब तक कि उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आक्षेप न हो। वह व्यथित व्यक्ति से दूर अपने ससुराल में रहती है और उससे अधिनियम के अन्तर्गत कोई विशेष सहायता जो व्यथित व्यक्ति द्वारा मॉगी गई है प्राप्त भी नहीं की जा सकती है। पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 की ओर से न्याय दृष्टांत **श्रीमती**

मीनाक्षी जाटव एवं अन्य विरूद्ध डॉ.(श्रीमती) सीमा सेहर एवं अन्य 2013 (2) एम.पी.एच.टी.116 पर निर्भर किया गया है। उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में भी पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 श्रीमती परवीन के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह पाया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता क्र. 1 लगायत 4 के संदर्भ में आलोच्य आदेश पारित कर आवेदन आय.ए. नंबर 1 निरस्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है, इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 श्रीमती परवीन के संदर्भ में पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2016 में आंशिक संशोधन कर आवेदन आय.ए. नंबर 2 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता क्र. 5 श्रीमती परवीन के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये समन आदेश को निरस्त किया जाता है।

15. उपरोक्तानुसार संशोधन के साथ पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार। आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस हो।

16. उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व से निर्धारित दिनांक को उपस्थित रहे।

स्थान–देवास(म0प्र0)
दिनांकः 11–01–2017

सही/–
(जोगिन्द्र सिंह)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)

प्रतिलिपि :

न्यायालय श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास की ओर विविध दांडिक प्रकरण क्र. 03/2015 के अभिलेख सहित निर्णय की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

(जोगिन्द्र सिंह)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)